Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

बलदेवराज पुत्र मघाराम जाति ब्राहम्ण निवासी राजपुरा पीपेरन तहसील सूरतगढ़

किस्म मुकदमा:– 136 भू–राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्याः 80 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.08.2020	आज यह पत्रावली प्रार्थी द्वारा जरिये वकील पेश करने पर पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी के नाम संयुक्त खाता में चक 1 पीपीएन के खाता संख्या 30/40, 31/41, 23/31 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के पत्थर नम्बर 153/41 153/42, 153/41, 153/42, 153/35, 153/43, 153/34, 153/35 कुल किता 39 तादादी 9.652 हैक्टेयर भूमि हैं जिसमें प्रार्थी के नाम विरासतन ना.सं 228 दिनांक 05.05.2015 को दर्ज एवं विरासतन ना.स. 223 दिनांक 06.04.2015 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थी के नाम उक्त वर्णित रकबा में प्रार्थी के नाम विरासतन ना.स. 228 दिनांक 05.05.2015 व ना.स. 223 दिनांक 06.04.2015 अनुसार राजस्व रिकार्ड दर्ज हुआ हैं। प्रार्थी का नाम विरासतन इन्तकाल के समय बलराम पुत्र मघाराम सहवन से लिखा गया हैं जबकि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेज जैसे आधारकार्ड, पहचानपत्र, पेनकार्ड, बैक खाता में नाम सहवन से बलदेवराज हैं। प्रार्थी का वास्तविक नाम बलदेवराज हैं। राजस्व रिकार्ड में सहवन से बलराम अंकित हो गय हैं। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में बलराम के स्थान पर बलदेवराज दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थन पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बलराम पुत्र मघाराम के स्थान पर बलदेवराज पुत्र मघाराम अंकित करने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम जारी किया जावे। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 चक 1 पीपीएन खाता संख्या 30 व खाता संख्या 23 अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बलराम अंकित है। प्रार्थी का दस्तावेजो आधार कार्ड, वोटरकार्ड, पेन कार्ड में प्रार्थी का नाम बलदेवराज अंकित हैं। रिपोर्ट तहसीलदार व पटवारी अनुसार प्रार्थी बलराम व बलदेवराज दोनो नाम एक ही व्यक्ति प्रार्थी के हैं। सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन अनुसार प्रार्थी बलदेवराज का नाम ही जमाबन्दी में बलराम अंकित है जो त्रूटिवंश बलराम लिखा गया है, बलराम व बलदेवराज एक ही व्यक्ति के नाम हैं। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी व रिपोर्ट तहसीलदार व सरपंच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर बलराम उर्फ बलदेवराज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चक 1 पीपीएन तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 30 जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 तथा इसी चक के खाता संख्या 23 जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 मे अंकित प्रार्थी का नाम **बलराम** के स्थान पर **बलराम उर्फ बलदेवराज** किये जाने का आदेश दिया जाता है। जमाबन्दी की अन्य समस्त प्रविष्टियां पूर्ववत रहेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	5719 20.08.2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:10:05 IST
Reason: SelfAttested